सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 01/2013 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2013/00014

अनवान

1. श्री वीरमा पिता हुरा गमेती, निवासी सैलाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. श्री फौजिया पिता हुरा गमेती, निवासी सैलाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. श्री रामा पिता हुरा गमेती, निवासी सैलाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– प्रार्थीगण/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कमिया पिता भेरा भील, निवासी सैलाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती केसी पत्नि कमिया भील, निवासी सैलाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर।
3. सरकार जरिये उप जिला कलक्टर, झाड़ोल, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 14-03-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि आवंटन सलाहकार समिति की नकल लिये जाने पर मौजा सैलाणा की आराजी संख्या 75 रकबा 0.40हे. एवं 187 रकबा 0.40 का आवंटन बाबत् विपक्षी संख्या 1 के हस्ताक्षर का कोई फार्म विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम का भरा जाना ज्ञात हुआ। दिनांक 29.11.1995 को न तो आवंटन कमेटी की बैठक हुई, न प्रोक्लेमेशन जारी हुआ एवं न ही विपक्षी संख्या 1 व 2 को कोई भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण के पिता का था, जिनका लगभग 15–16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो जाने से उनके बाद से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नही रहा हैं। आवंटन से संबंधित तैयार किये गये समस्त दस्तावेज फर्जी हैं। अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार हैं एवं अपीलान्ट द्वारा भारी लागत लगाकर उक्त भूमि का काश्त योग्य बनाया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद विपक्षीगण की ओर से प्रकरण मे कोई जवाब

प्राप्त न होने से प्रकरण मे जवाब बंद किया गया। तहसीलदार झाड़ोल से विवादित आराजी पर किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 21.12.2017 से प्रेषित मौका पर्चा रिपोर्ट द्वारा न्यायालय को अवगत कराया है कि मौजा सैलाणा की आराजी संख्या 75 रकबा 0.40हे. एवं 187 रकबा 0.40हे. कुल किता 2 रकबा 0.80हे. का आवंटन विपक्षी संख्या 1 व 2 को दिनांक 29.11.1995 को किया गया हैं, जिसके हाल रेकर्ड के अनुसार आराजी संख्या 3110/75 एवं 3111/187 बने हैं। हाल जमाबंदी मे उक्त दोनो आराजीयात विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड हैं। आराजी संख्या 3110/75 रकबा 0.40हे. मे से 0.0841हे. पर विरमा पिता हुरा व अन्य का कब्जा पाया गया एवं शेष रकबा 0.3159हे. पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा पाया गया। आराजी संख्या 3111/187 रकबा 0.40हे. मे से 0.18हे. पर विरमा पिता हुरा का कब्जा पाया गया है एवं शेष भूमि 0.22हे. पर विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा होना पाया गया हैं। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड़ अधिकारी से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 30/1995 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण मे एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी के पक्ष मे किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली संख्या 30/1995 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से विपक्षी संख्या 1 श्री कमिया पिता भेरा भील द्वारा मौजा सैलाणा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 75 रकबा 0.40हे. एवं 187 रकबा 0.40हे. कुल किता 2 रकबा 0.80हे. भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच के हस्ताक्षर मौजुद हो उपखण्ड़ अधिकारी झाड़ोल के हस्ताक्षर भी आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार उक्त विवादित भूमि पर आंशिक रूप से अपीलान्ट भी काबिज होना पाया गया है, किन्तु प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की अपीलान्ट का उक्त विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा विपक्षीगण को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि अपीलान्ट का कब्जा उक्त भूमि पर होता तेा उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो अपीलान्ट का कब्जा साबित करती। अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त

विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। खातेदारी अधिकार आवंटन शर्तो की पालना किये जाने से ही दिये जाते है एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने, आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् मात्र वर्तमान कब्जे के आधार पर किसी भी आवंटी के आवंटन को निरस्त कर उसे भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। ऐसी स्थिति मे नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.11.1995 को यथावत रखा जाता हैं। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय मे चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर